

पर्व डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि0न0-518/2025

1 कृष्ण कुमार पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी पीरकामादिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

2 तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक 19/3/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रोहीताश चहार व प्रतिवादी राजपेरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं0 11 एकटीपी के खाता सं0 95/82 में दर्ज वादी का नाम कृष्णराम पुत्र रूपराम के स्थान पर सही नाम कृष्णकुमार किये जाने के आदेश दिये जाते है यदि वादी पर किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्व डिक्री आज दिनांक 19/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।
पदेन महायुक्त कलक्टर टिब्बी